

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(नगरपालिका नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

क्र: 5346

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दि: 14/06/2023

आवेदन सं: _____

LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2023-24/19811

जारी दिनांक: _____

14-JUN-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

MANDEEP KAUR

आवेदक का पता:

SETIA COLONY 5 VINOBA BASTI GALI 7 GANGANAGAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कायदा

आपको भवन AKAL ACADEMY, 00, KAMRANI, TIBBI, KAMRANI, HANUMANGARH, HANUMANGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पावेंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि विधि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति रद्द कर दिया जायेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व रिजिस्ट्रारि आईस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयवधि में रीफिल कराया होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या विभाग द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रदाता को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कमी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाये कि स्थिति में यह अनापत्ति रद्द कर दिया जायेगा।
7. मार्ग के टैंक हर समय भरे रहने होंगे व कम्य व फूल फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रहने का कार्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे नगर परिषद कार्यालय रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रखा रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर मार्ग आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर बिजली भी प्रकार का विरपेटक पदार्थ व अति स्वतन्त्रशील पदार्थ नही रखा जाये।
11. रोप नेडर व दो रस्ता भवन के सभी टावर में टावर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखा होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस आधार आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र कम्प्यूटर रेस्टोरेट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर कम्प्यूटर रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी

महो अग्नि शमन अधिकारी
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

Principal

AKAL ACADEMY
Kamrani, Hanumangarh
Rajasthan

Manager
Akai Academy

Signature valid

Digitally signed by Mohammad
Yunus

Designation: _____
Date: 14/06/2023

